कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com *Telefax.05942-236790*

पत्रांकः– 3025 /12–1 दिनांक 29/11/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, भवाली।

विषयः– **जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत नदगलगांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/19460/2016**

संदर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/06/166/2020/एफ०सी०/440 दिनांक 25.10.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार अनुपालन किया जाना है –

<table>
<tr><th>शर्त संख्या</th><th>शर्त</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शर्त संख्या 2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शर्त संख्या 3 के अनुपालन में

प्रतिपूरक वनीकरण :–
(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.66 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काण्ड खसरा सं0 2307 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। इस शर्त हेतु निम्न धनराशि जमा की जानी आवश्यक है –
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>क्षेत्रफल (हे0 में)</th><th>CA Rate</th><th>जमा की जाने वाली धनराशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2.66</td><td>4,48,791.00</td><td>11,93,784.00</td></tr>
</table>
(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notificatin करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगीं एफ.सी.ए 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामानतरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

(ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

5 शर्त संख्या 5 के अनुपालन में

शुद्ध वर्तमान मूल्य :–

(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 1.33 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि निम्न प्रकार जमा की जानी है –

क्र0सं0	वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	एन.पी.वी. दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	1.33	12,92,850.00	17,19,491.00

उक्त दर का आंकलन भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2011 एफ0सी0 दिनांक 06.11.2022 के अनुसार की गयी है।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।

6 शर्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 126 वृक्षों एव 186 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

8 शर्त संख्या 8 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित/जमा किया जाएगा।

9 शर्त संख्या 9 के अनुपालन मेंएफआरए 2006 कर पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10 शर्त संख्या 10 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए । प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11 शर्त संख्या 11 के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौंधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

12 शर्त संख्या 12 के अनुपालन में नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें किस इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौंधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

13 शर्त संख्या 13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

Scanned with CamScanner

14	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19	शर्त संख्या 19 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
22	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।
25	शर्त संख्या 25 के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :– संदर्भित पत्र।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Scanned with CamScanner